

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-16/15

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 06.08.15

1. विजय कुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद आयु 51 वर्ष
2. आदित्य कुमार आयु 30 वर्ष
3. उदित कुमार आयु 25 वर्ष पुत्रगण विजय कुमार निवासीगण ग्राम भगवासा हाल निवासी वाड नं0-05 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलार्थी/वादीगण

विरुद्ध

1. देवेन्द्र कुमार उर्फ दीपक आयु 43 वर्ष
2. जितेन्द्र कुमार उर्फ चुम्भन आयु 38 वर्ष तथाकथित पुत्रगण जगदम्बा प्रसाद निवासी मकान नं0-सी0-07 शीतला कालोनी कन्हैयालाल जैन नल वाले के बगल में हेदर गंज लश्कर ग्वालियर म0प्र0
3. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 81ए/14 में घोषित निर्णय दिनांक 07.07.2015 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थीगण द्वारा श्री पी.के. वर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण कं0-01 एवं 02 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 03 अनु0 पूर्व से एकपक्षीय।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 27.02.18 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह अपील न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री गोपेश गर्ग) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 81ए/14 उनवान विजय कुमार एवं अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादीगण द्वारा विवादित भूमि सर्वे

क्रमांक 351 रकवा 0.86 हैक्टे0, सर्वे क्रमांक 939 रकवा 1.18 हैक्टे0, सर्वे क्रमांक 1586 रकवा 2.36 हैक्टे0 एवं सर्वे क्रमांक 1595 रकवा 0.84 हैक्टे0 स्थित ग्राम भगवासा परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में प्रस्तुत किया गया स्वत्व घोषणा, न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 271/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.04.2010 तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के प्रकरण क्रमांक 07/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2009 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर दिया है।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत रहे हैं कि विवादित भूमि के पूर्व भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी जगदम्बा प्रसाद थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 08.07.2008 को हो गई तथा गयाकुमारी की मृत्यु 17.11.2009 को हो गई। प्रतिवादी क्रमांक 01 देवेन्द्र कुमार और प्रतिवादी क्रमांक 02 जीतेन्द्र कुमार केशर कुमारी के पुत्र हैं। विवादित भूमि के संबंध में जगदम्बा प्रसाद की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत भगवासा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 आदेश दिनांक 15.08.2008 के द्वारा वादी क्रमांक 01 विजय कुमार एवं उसकी मां गयाकुमारी के नाम समान भाग पर नामांतरण कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण देवेन्द्र एवं जितेन्द्र के द्वारा एस.डी.ओ. गोहद के समक्ष अपील की गई उक्त अपील क्रमांक 07/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2009 के द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त करते हुए गयाकुमारी विजय कुमार देवेन्द्र एवं जितेन्द्र के पक्ष में नामांतरण किए जाने आदेश किया गया, जिसकी अपील अपर आयुक्त के समक्ष किए जाने पर प्रकरण क्रमांक 27/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.10.2010 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत् रखते हुए वादीगण की अपील निरस्त की गई, जिसकी निगरानी वादीगण के द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष की जाने पर निगरानी क्रमांक 530-दो/दस में पारित आदेश दिनांक 22.07.11 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश तथा अपर आयुक्त के आदेश को यथावत् रखा गया तथा निगरानी निरस्त की गई। इस प्रकार राजस्व न्यायालय से वादीगण के 1/2 तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का 1/2 हिस्से के नामांतरण का आदेश रहा।

3. अपीलार्थी/वादीगण के विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि जगदम्बा प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त उनके वैधानिक उत्तराधिकारी

गयाकुमारी और विजय कुमार थे, इस कारण विवादित भूमि पर उन दोनों के नाम का समान भाग पर नामांतरण हुआ तथा गयाकुमारी ने अपने जीवन काल में विवादित भूमि के उक्त 1/2 भाग की वसीयत वादी क्रमांक 02 व 03 आदित्य कुमार और उदित कुमार के पक्ष में निष्पादित कर नोटरी कराई थी, इस कारण विवादित भूमि पर 1/2 भाग पर विजय कुमार और 1/2 भाग पर आदित्य कुमार एवं उदित कुमार भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हुए और मौके पर कृषि कर रहे हैं। जगदम्बा प्रसाद का विवाह हिन्दू शास्त्र के अनुसार केवल गया कुमार से हुआ था और जगदम्बा प्रसाद ने कोई दूसरा विवाह नहीं किया, उन्हें दूसरा विवाह करने का अधिकार भी नहीं था। जगदम्बा प्रसाद पंचायत विभाग में उपसंचालक के पद पर रहते हुए उनके सेवा निवृत्त होने के बाद उन्हें पेंशन प्राप्त हुई तथा उनकी मृत्यु के उपरांत गया कुमारी को जीवन पर्यन्त पेंशन प्राप्त हुई। दोनों ने स्वयं को जगदम्बा प्रसाद की द्वितीय पत्नी केशर कुमारी को बताते हुए स्वयं को पुत्र बता कर जगदम्बा प्रसाद का वारिस प्रकट किया। केशर कुमारी की मृत्यु दिनांक 13.10.87 को हो चुकी है। जिनकी चल व अचल सम्पत्ति प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को प्राप्त हुई।

4. अपीलार्थी/वादीगण के यह भी अभिवचन रहे हैं कि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 ने बदनियति से स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद एवं गया कुमारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि को गलत रूप से हड़पने के आशय से उनका पुत्र बताकर नामांतरण कार्यवाही की। ग्राम सभा भगवासा ने जगदम्बा प्रसाद के स्थान पर वादीगण का नामांतरण स्वीकार किया। जिसकी अपील प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा एस.डी.ओ गोहद के समक्ष करने पर उक्त अपील दिनांक 15.10.2009 के आदेश से स्वीकार की गई, जिसकी द्वितीय अपील वादीगण के द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहां की गई, जो दिनांक 15.04.2010 के आदेश से निरस्त की गई। उक्त दोनों न्यायालय के आदेश विधि विरुद्ध होने से वादीगण के मुकाबले व्यर्थ हैं, जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को कोई स्वत्व व हक प्राप्त नहीं होते हैं। विवादित भूमि पर वादीगण काशत कर रहे हैं, प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी काशत नहीं की गई है। उपरोक्त दोनों आदेशों की आड़ में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 वादीगण का कब्जा छीनना चाहते हैं। राजस्व न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 15.04.10 के पालन में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का नाम दर्ज होने के कारण वे वादीगण की

- उक्त विवादित भूमि के अंश भाग को विक्रय करना चाहते हैं, ऐसी चर्चा दिनांक 11.12.12 को प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा गांव में की गई। उक्त आधारों पर विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा, न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 271/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 15.04.2010 तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद के प्रकरण क्रमांक 07/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2009 को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।
5. प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादीगण के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया कि विवादित भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा वादी क्रं0 01 विजय कुमार तथा गयाकुमारी के हक में एवं प्रतिवादी क्रं0 01 व 02 के विरुद्ध पारित ठहराव प्रस्ताव क्रं0 15 दि0 15.08.2009 के विरुद्ध एस0डी0ओ0 गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो स्वीकार की गयी तथा विवादित भूमि पर वादी क्रं0 01 व श्रीमती गयाकुमारी के हक में समान रूप से 1/4-1/4 भाग पर नामांतरण किये जाने का आदेश किया गया जिसके विरुद्ध वादीगण के द्वारा अपील करने पर अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गयी। जिसकी निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष करने पर निगरानी क्रं0 530-2/10 दिनांक 22.07.11 के आदेश से निरस्त की गई और उपरोक्त दोनों आदेश स्थिर रखे गए। सभी आदेशों में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को वादी क्रमांक 01 के साथ साथ समान रूप से जगदम्बा प्रसाद का जीवित वैध वारिस मानकर विवादित सम्पत्तियों में समान हित निर्धारित किया गया है। जगदम्बा प्रसाद द्वारा अपने जीवन काल में एक विवाह गया कुमारी से तथा दूसरा विवाह केशर कुमारी से किया गया था। जिनकी मृत्यु के समय वैध वारिसों में वादी क्रमांक 01 विजय कुमार, उसकी मां गया कुमारी तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 थे।
6. प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से यह भी अभिवचन किए गए हैं कि गया कुमारी को अपने जीवन काल में आदित्य कुमार एवं उदित कुमार के पक्ष में वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। यदि ऐसा कोई वसीयतनामा तैयार किया गया है तो वह फर्जी एवं कूटरचित है। गया कुमारी की मृत्यु के उपरांत से वादी

क्रमांक 01 तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 समान रूप से 1/3-1/3 भाग के स्वामी हो चुके हैं। श्रीमती केशर कुमारी के पति के रूप में सभी शासकीय दस्तावेजों में स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद का नाम ही दर्ज है। श्रीमती केशर कुमारी पत्नी श्री जगदम्बा प्रसाद शिक्षा विभाग में प्राधान अध्यापिका के पद पर पदस्थ थीं तथा स्वर्गीय केशर कुमारी की मृत्यु सर्विस पर रहते हुए थी। जिनकी मृत्यु के उपरांत स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद शर्मा यूको बैंक सराफा बाजार ग्वालियर से पेंशन प्राप्त करते रहे। श्रीमती केशर कुमारी के प्रोवीडेंट फंड का पैसा भी उनके विभाग से स्वर्गीय श्री जगदम्बा प्रसाद के द्वारा प्राप्त किया गया। शिक्षा विभाग में भी पत्र व्यवहार कर जगदम्बा प्रसाद के द्वारा केशर कुमारी को पत्नी बताया गया प्रतिवादी क्रमांक 01 देवेन्द्र कुमार को अनुकम्पा नियुक्ति दिलाई है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से यह भी अभिवचन किए गए हैं कि प्रतिवादीगण अपने पिता जगदम्बा प्रसाद के जीवन काल से विवादित भूमि पर खेती करते थे अथवा कराते, देखरेख करते थे तथा खेती में जो फसल पैदा होती थी, उसका बराबर बराबर बंटवार वे वादी क्रमांक 01 एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को दिया करते थे। परंतु उनकी मृत्यु के बाद वादी क्रमांक 01 के मन में बदयांति आ गई और उसके द्वारा संपूर्ण फसल काट कर रख ली गई, जिसके संबंध में प्रतिवादीगण के द्वारा धारा-145 जा0फौ0 का प्रकरण भी संचालित है। विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का अपने हिस्से पर कब्जा है। दिनांक 11.12.12 को कोई घटना नहीं हुई है, कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण के द्वारा वाद का उचिम मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया गया है। वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
8. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 03 म0प्र0 शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है, उसके विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है। म0प्र0 शासन की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये जाकर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार उनके समक्ष अंकित किये गये:—

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी क्रमांक 01 विजय कुमार मृतक जगदम्बा के वारिस होने के नाते विवादित भूमि खसरा क्रमांक 351 रकबा 0.86, 939 रकबा 1.18, 1586 रकबा 0.36, 1595 रकबा 0.84 स्थित ग्राम भगवासा तहसील गोहद में 1/2 भाग के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?	अंशतः साबित ।
2. क्या वादी क्रमांक 02 व 03 उक्त वर्णित भूमि के संबंध में गयाकुमारी पत्नी जगदम्बाप्रसाद द्वारा निष्पादित बसीयत दिनांक 13.11.09 के आधार पर विवादित भूमि के 1/2 भाग के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?	अंशतः साबित ।
3. क्या विवादित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.09 एवं न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना मध्यप्रदेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.10 अवैधानिक रूप से पारित किए गए हैं यदि हां तो प्रभाव ?	नासाबित ।
4. क्या, प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 विवादित भूमि पर वादीगण के कब्जे व काश्त में अवैधानिक रूप से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ?	नासाबित ।
5. क्या, वादीगण द्वारा वाद का उचित रूप से मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायाशुल्क अदा किया गया है ?	नासाबित ।
6. क्या वादीगण द्वारा विवादित भूमि में वैधानिक आधिपत्य न होते हुए भी तथा प्रस्तुत वाद में आधिपत्य की सहायता न चाहे जाने से विधि अनुसार प्रचलन योग्य नहीं हैं ?	नासाबित ।
7. क्या वाद में कुसंयोजन का दोष है यदि हां तो प्रभाव ?	नासाबित ।
8. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय	वाद अंशतः स्वीकार ।

10. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि राजस्व न्यायालयों ने विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किए हैं। जिन्हें निरस्त करने का सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ/विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश की प्रक्रिया के संबंध में कोई जांच नहीं की है। विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। परंतु अपीलार्थीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। जिससे अपीलार्थीगण न्याय से वंचित हुए हैं। प्रत्यर्थी की दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ/विचारण न्यायालय के द्वारा गया कुमारी के द्वारा वादी क्रमांक 02 व 03 के पक्ष में की गई वसीयत विवादित भूमि के 1/2 भाग की न मानते हुए 1/4 की मान्य करने में वैधानिक त्रुटि कारित की है। प्रत्यर्थीगण गया कुमारी के पुत्रगण नहीं है। ऐसी स्थिति में गया कुमारी को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से की वसीयत करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त था। इस तथ्य की ओर विचारण न्यायालय के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का न्यायिक दृष्टि से विश्लेषण न करते हुए निर्णय पारित किया है। जिससे न्याय का उद्देश्य विफल हुआ है। अपील स्वीकार करते हुए संपूर्ण दावे को स्वीकार किए जाने तथा अपीलार्थी/वादीगण के पक्ष में विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई है।
11. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।
12. इस अपील में प्रत्यर्थी क्रमांक 03 म0प्र0 शासन को विधिवत् तामील होने के पश्चात वह प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहा है उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है।
13. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्न लिखित बिन्दु विचारणीय है:-
1. क्या अपीलार्थी/वादी क्रमांक 01 विवादित भूमि के 1/2 भाग का तथा वादी क्रमांक 02 व 03 गया कुमारी के द्वारा निष्पादित विवादित भूमि के

- 1/2 भाग की वसीयत दिनांक 13.11.2009 के आधार पर उक्त 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं ?
2. क्या विवादित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वादी के हितों के मुकाबले शून्य और निष्प्रभावी हैं ?
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है और क्या विवादित भूमि को अंतरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?
4. क्या विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-

14. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 अर्थात् देवेन्द्र एवं जितन्द्र को जगदम्बा प्रसाद का पुत्र मानते हुए जगदम्बा प्रसाद की सम्पत्ति में उत्तराधिकारी होने की हैसियत से वादी विजय कुमार एवं जगदम्बा प्रसाद की पत्नी गयाकुमारी का समान भाग माना है। वादीगण ने इस तथ्य से इन्कार किया है कि जगदम्बा प्रसाद का विवाह केशर कुमारी के साथ हुआ था तथा जगदम्बा प्रसाद और केशर कुमारी से प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 संतान उत्पन्न होकर उनके पुत्रगण हैं। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा जगदम्बा प्रसाद और गयाकुमारी का विवाह होना स्वीकृत करते हुए वादी विजय कुमार को जगदम्बा प्रसाद एवं गया कुमारी का पुत्र होना स्वीकृत किया है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय के पैरा-35 में प्र0पी0-30 के पत्र के आधार पर, जिसमें कि जगदम्बा प्रसाद ने केशर कुमारी को अपनी पत्नी होने का उल्लेख किया है, जगदम्बा प्रसाद एवं गया कुमारी को पति पत्नी होना माना है। इसी प्रकार प्र0डी-30, 33, 41, 42, प्र0डी0-29 के आधार पर जगदम्बा प्रसाद एवं गया कुमारी पति पत्नी होना मान्य किया है।
15. परंतु इस मामले में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से जगदम्बा प्रसाद एवं केशर कुमारी का हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार विवाह होने का कोई

प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। विजय कुमार वा0सा0-01 ने यह बताया है कि स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद ने अपने जीवनकाल में दूसरा विवाह नहीं किया था अर्थात् केशर कुमारी से उनका विवाह नहीं हुआ था। जिसके खण्डन में प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से विवाह सम्पन्न होने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विवाह के रजिस्ट्रेशन का भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से ऐसे किसी व्यक्ति की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है कि जिसके सामने जगदम्बा प्रसाद एवं केशर कुमारी का विवाह हुआ हो या जिसने स्वयं उक्त विवाह को सम्पन्न कराया हो। अतः ऐसी स्थिति में जगदम्बा प्रसाद का केशर कुमारी से हिन्दू शास्त्र के अनुसार विधिवत् विवाह होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय को यह निष्कर्ष वैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना प्रकट होता है कि जगदम्बा प्रसाद एवं केशर कुमारी पति पत्नी थे। अपितु यह अवश्य प्रकट होता है कि जगदम्बा प्रसाद एवं केशर कुमारी पति पत्नी के रूप में रहे हैं।

16. जहां तक कि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के जगदम्बा प्रसाद के पुत्रगण होने का प्रश्न है, विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 को, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, जगदम्बा प्रसाद एवं केशर कुमारी के पुत्रगण होने का निष्कर्ष दिया है। इस संबंध में वादी विजय कुमार वा0सा0-01 ने प्र0डी0-20 एवं 21 के छायाचित्र में मृत केशर बाई को प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की मां होना स्वीकार किया है तथा ए से ए भाग पर स्वयं को होना स्वीकार किया है। प्र0डी0-21 में भी ए से ए भाग पर स्वयं का होना तथा ई से ई भाग पर मां गया कुमारी तथा एफ से एफ जगदम्बा प्रसाद का फोटो होना स्वीकार किया है। जिससे कि प्रकट है कि विजय कुमार जगदम्बा प्रसाद गया कुमारी केशर बाई की मृत्यु के समय उपस्थित थे। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि जितेन्द्र और देवेन्द्र के फोटो की पहचान के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट रहा है कि उक्त फोटो देवेन्द्र या जितेन्द्र का है या नहीं उसे नहीं पता। यह पूर्णतः अस्वाभाविक है कि जिनके विरुद्ध प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया है और जो वादी के पिता और माता और वादी विजय कुमार के साथ केशर बाई की अंतिम यात्रा के समय उपस्थित हों, उन्हें ही वादी विजय कुमार पहचानता न हो, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि इस फोटो में

जितेन्द्र और देवेन्द्र हैं।

17. वादी विजय कुमार वा0सा0-01 ने अपनी साक्ष्य में पैरा-14 में पिता जगदम्बा प्रसाद के द्वारा सेंट्रल बैंक के नाम से प्र0डी0-22 का पत्र लिखा जाना और उसमें केशर बाई को अपनी पत्नी होना संबोधित करते हुए पास बुक की मांग की जाना, प्र0डी0-23 के पत्र के माध्यम से संसद सदस्य श्री के.सी. शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को पत्र लिखकर सहायता दिए जाने की सिफारिश करने तथा उस पत्र में जगदम्बा प्रसाद के तीन पुत्र होने का उल्लेख होने, प्र0डी0-24 का पत्र पिता जगदम्बा प्रसाद के हस्तलेख में सेंट्रल बैंक को लिखे जाने और उस पर ए से ए भाग पर जगदम्बा प्रसाद के हस्ताक्षर होने, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को प्र0पी0-25 का पत्र लिखे जाने और उसमें देवेन्द्र पुत्र जगदम्बा प्रसाद अंकित होने को स्वीकार कर लिया है।
18. विजय कुमार वा0सा0-01 ने साक्ष्य में पैरा-15, 16 एवं 18 में यह प्र0डी0-26 का पत्र कोषालय ग्वालियर द्वारा पिता जगदम्बा प्रसाद को लिखा जाना और उसमें स्वर्गीय केशर कुमारी की पति की हैसियत से पिता जगदम्बा प्रसाद का नाम लिखा होने, प्र0डी0-27 के द्वारा प्रधानाध्यापक शास0 प्रा0 विद्यालय दुर्ग फोर्ट ग्वालियर द्वारा प्रतिवादी देवेन्द्र के पक्ष में प्रमाणीकरण जारी किया जाना जिसमें देवेन्द्र के पिता का नाम जगदम्बा प्रसाद होना, प्र0डी0-29 की शादी का कार्ड स्वयं के पुत्र आदित्य वादी क्रमांक 02 की शादी का होना और ए से ए भाग पर विनीत के रूप में पिता जगदम्बा प्रसाद का नाम लिखा होना और बी से बी भाग में दर्शनाभिलाषी के रूप में अन्य नाम के साथ साथ प्रतिवादी देवेन्द्र और जितेन्द्र के नाम लिखे होना, पैरा-16 में प्र0डी0-30 का पत्र उपसंचालक शिक्षा विभाग को पिता जगदम्बा प्रसाद के द्वारा लिखा जाना और उनके लेख में होना तथा ए से ए भाग पर जगदम्बा प्रसाद के हस्ताक्षर होना, प्र0डी0-32 पर ए से ए भाग पर पिता के हस्ताक्षर होना तथा उसमें केशर कुमारी की मृत्यु के बाद जगदम्बा प्रसाद के द्वारा शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर केशर कुमार के स्थान पर प्रतिवादी देवेन्द्र को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का निवेदन किए जाने, पेंशन फार्म प्र0डी0-34 में ए से ए भाग पर गयाकुमारी सहित उसका, प्रतिवादी देवेन्द्र और जितेन्द्र का नाम लिखा होना, प्र0डी0-35, 36, 37 एवं 38 के पत्र जगदम्बा प्रसाद के हस्तलेख में होना और

उन पर जगदम्बा प्रसाद के हस्ताक्षर होना, प्र0डी0-39 केशर कुमारी की अंकसूची होना, राशन कार्ड प्र0डी0-40 में देवेन्द्र के साथ में भाई के रूप में उसका नाम लिखा होना तथा प्र0डी0-43 का विद्युत बिल केशर कुमारी के नाम से होना तथा उसमें केशर कुमारी के पति के रूप में जगदम्बा प्रसाद का नाम लिखा होना स्वीकार कर लिया है।

19. इस प्रकार उपरोक्त प्र0डी0-20 लगायत 27, 29, 30 प्र0डी0-32, 34, 35 लगायत 38 एवं प्र0डी0-40 तथा 43 की स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रकट होता है कि वास्तव में वादी विजय कुमार प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के साथ भाई के रूप में रहा है तथा जगदम्बा प्रसाद और केशर कुमारी पति पत्नी की हैसियत से रहे हैं। जगदम्बा प्रसाद ने पति के हैसियत से केशर कुमारी की पेंशन प्राप्त की है तथा केशर कुमारी की मृत्यु होने पर पुत्र देवेन्द्र की अनुकम्पा नियुक्ति के लिखित प्रयास किए हैं, जिससे देवेन्द्र को केशर कुमारी के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति भी प्राप्त हुई है। यद्यपि जगदम्बा प्रसाद और केशर कुमारी के मध्य हिन्दू शास्त्रों के अनुसार विधिवत् विवाह होना प्रमाणित नहीं हुआ है, परंतु यह प्रमाणित हुआ है कि वे पति पत्नी की हैसियत रहे एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 देवेन्द्र तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 जितेन्द्र उनके पुत्रगण हैं। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-36 में यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 देवेन्द्र एवं प्रतिवादी क्रमांक 02 जितेन्द्र केशर कुमारी एवं जगदम्बा प्रसाद के पुत्रगण हैं।

20. धारा-08 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधीन निर्वसीयती हिन्दू पुरुष की मृत्यु पर प्रथमतः, सम्पत्ति उन वारिसों को, जो अनुसूची के वर्ग एक में विनिर्दिष्ट हैं, को न्यागत होगी अर्थात् अनुसूची में वर्ग एक के वारिस में विधवा एवं पुत्र हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी विजय कुमार के साथ साथ जितेन्द्र एवं देवेन्द्र भी जगदम्बा प्रसाद के पुत्र हैं। गयाकुमारी विधवा के रूप में थीं अतः उक्त विवादित भूमि में $1/4$ भाग विजय कुमार का, $1/4$ भाग गयाकुमारी का, $1/4$ भाग देवेन्द्र का तथा $1/4$ भाग जितेन्द्र का होता है। इस संबंध में प्रत्यर्थी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ0 गोविंदा बनाम कला बाई एवं

अन्य 2010 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 23 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की एकल पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब सम्पत्ति में अधर्मज संतानें पिता के अंश की हकदार हैं। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ0 प्रभा दुबे एवं अन्य बनाम संतोष दुबे एवं अन्य 2005 (1) एम.पी.एल.जे. 452 में भी माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 के द्वारा यही मान्य किया गया है।

21. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराने पर ध्यान नहीं दिया गया है और वसीयत प्र0पी0-08 के बाद अपर सत्र न्यायालय गोहद के प्रकरण क्रमांक 126/2010 नि0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2010 को भी प्र0पी0-08 से प्रदर्शित किया गया है, जिसे सही करते हुए उक्त आदेश को प्र0पी0-8ए किया गया। जहां तक कि गयाकुमारी द्वारा वसीयत किए जाने का प्रश्न है, प्र0पी0-08 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उक्त वसीयत दिनांक 13.11.09 को नोटरी अधिवक्ता श्री गंभीर सिंह निगम के समक्ष नोटरी कराई गई है। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि गया कुमारी की मृत्यु दिनांक 17.11.2009 को हुई है, इस प्रकार केवल चार दिन पूर्व वसीयत होना दर्शाई गई है जो कि अपने आप में ही संदेहास्पद है। महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त वसीयत किस दिनांक को हुई है, उक्त वसीयत में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए भी यह वसीयत विधिवत् निष्पादित की गई मान्य नहीं की जा सकती है। वसीयत किस दिनांक को हुई, ऐसा विजय कुमार वा0सा0-01 ने बताया ही नहीं है।

22. वसीयत प्र0डी0-08 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें अंगूठा निशानी लगी हुई है, जिसमें बिन्दु क्रमांक 03 में यह तथ्य लिखे हुए हैं कि " मैं वृद्ध हूं पहिले हस्ताक्षर करती थी, परंतु अब हस्ताक्षर नहीं कर पाती हूं इसलिए निशानी अंगूठा कर रही हूं।" परंतु उक्त निशानी अंगूठा को नोटरी अधिवक्ता के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त अंगूठा निशानी गया कुमारी का ही है। यही कारण है कि वादी का अनुप्रमाणन साक्षी रामदास वा0सा0-04 प्रतिपरीक्षण में पैरा-11 में यह बताया है कि गयाकुमारी बिल्कुल भी पढी लिखी नहीं है वह अंगूठा लगाती थी, पैरा-12 में इस तथ्य से इन्कार किया है कि गया कुमारी पढी लिखी होकर हस्ताक्षर करती थी और वह कभी अंगूठा नहीं लगाती

- थी। वसीयत प्र०पी०-०८ में भी यह तथ्य है कि पहले गयाकुमारी हस्ताक्षर करती थी।
23. रामदास वा०सा०-०४ ने मुख्यपरीक्षण में भी यह बताया है कि गयाकुमारी शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ थी। अनुप्रमाणन के दूसरे साक्षी जगदीश सिंह राणा वा०सा०-०५ ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में गयाकुमारी को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बताया है। जहां कि गया कुमारी हस्ताक्षर करती थी और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, तब ऐसी स्थिति में वसीयत पर हस्ताक्षर न होते हुए अंगूठा निशानी होना स्वतः ही वसीयत की असत्यता को दर्शाता है। इन परिस्थितियों में उक्त वसीयत विधिवत् निष्पादित होना प्रकट नहीं होती है। इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृ० के.लक्ष्मनन बनाम थेक्काइल पदमिनी एवं अन्य 2009 (2) एम. पी.एल.जे. 525 अवलोकनीय है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया वसीयत के निष्पादन के संबंध में संदिग्ध परिस्थितियां होने पर न्यायालय के समाधान के लिए उनका खुलासा करने के सबूत का दायित्व प्रस्तुतकर्ता पर है। इस मामले में उपरोक्त संदिग्ध परिस्थितियों का समाधान नहीं हुआ है। वैसे भी जगदम्बा प्रसाद के गया कुमारी से विजय कुमार पुत्र था तथा केशर कुमारी से देवेन्द्र एवं जितेन्द्र पुत्र थे तब ऐसी स्थिति में उत्तराधिकारी होने के नाते गया कुमारी को विवादित भूमि में केवल 1/4 हिस्से की वसीयत का अधिकार था, 1/2 भाग के हिस्से की वसीयत वादी क्रमांक 02 व 03 के हक में करने का अधिकार भी नहीं था। इस प्रकार वसीयत विधिवत् प्रमाणित न होने से विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का वसीयत का निष्पादन प्रमाणित होना मान्य किए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है।
24. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का 1/2 का स्वत्व विवादित भूमि पर माना है, जिसकी कोई अपील प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं की गई, अतः ऐसी स्थिति में 1/3 भाग के संबंध में यद्यपि विचार नहीं किया जा सकता है परंतु फिर भी जहां कि जगदम्बा प्रसाद की मृत्यु हुई थी, वहां उसकी मृत्यु के पश्चात 1/4 भाग उसकी पत्नी गयाकुमारी को, 1/4 भाग पुत्र विजय कुमार को तथा 1/4 एवं 1/4 भाग केशर कुमारी एवं जगदम्बा प्रसाद के पुत्रगण देवेन्द्र एवं जितेन्द्र को मिलता है, जगदम्बा प्रसाद की मृत्यु गया कुमारी के पूर्व हो गई थी, गया कुमारी की मृत्यु के पश्चात गया कुमारी की सम्पत्ति पर प्रतिवादी जितेन्द्र एवं देवेन्द्र का कोई

स्वत्व नहीं होता है, उक्त सम्पत्ति वादीगण को ही प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादीगण का 1/2 स्वत्व निर्धारित कर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। ऐसी स्थिति में वाद प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 के अंशतः प्रमाणित हुआ मान्य किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

25. वादप्रश्न क्रमांक 05 इस वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा करने के संबंध में है, जिसके संबंध में आलोच्य निर्णय में पैरा-56 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि वादी द्वारा अनुचित मूल्यांकन कर अपर्याप्त न्याय शुल्क संदाय किया जाना सिद्ध नहीं होता है। परंतु सहवन त्रुटिवश उक्त वादप्रश्न को "नासाबित" के रूप में लिख दिया है, जबकि वह "साबित" के रूप में लिखा जाएगा। वादीगण के द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए मूल्यानुसार न्याय शुल्क चुकाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वादीगण और प्रतिवादीगण समान भाग के सहस्वामी और आधिपत्यधारी हैं।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03:-

26. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का विवादित भूमि पर 1/2 भाग का स्वत्व होना प्रमाणित माना है, अतः ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय के प्र0डी0-03 प्र0डी0-01 एवं प्र0डी0-02 के द्वारा राजस्व न्यायालय ने वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के संबंध में जगदम्बा प्रसाद के वैध उत्तराधिकारी मान्य किए जाने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।
27. जहां तक कि, प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर अवैधानिक रूप से बाधा उत्पन्न करने का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के वादीगण का 1/2 भाग का तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 का 1/2 भाग का स्वत्व है, तब ऐसी स्थिति में वादीगण और प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सहस्वामी होने के नाते उनका विवादित भूमि के प्रत्येक हिस्से पर आधिपत्य होना मान्य किया जाएगा, ऐसी स्थिति में कब्जे में अवैध रूप से हस्तक्षेप किए जाने का न तो कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और न ही सहस्वामी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। जहां तक कि, भूमि को अंतरित किए जाने का प्रश्न है वाद 15.01.13 को प्रस्तुत किया गया है, तब से वर्तमान तक प्रतिवादीगण द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं

की गई, तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 विवादित भूमि को अन्यत्र विक्रय करने पर आमादा है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद प्रश्न क्रमांक 04 को अप्रमाणित मानते हुए कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04:-

28. इस प्रकार अपीलार्थी/वादीगण के द्वारा इस अपील में जो आधार लिए गए हैं वह अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि संपूर्ण विवादित भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं अपितु यह प्रमाणित हुआ है कि वे विवादित भूमि के 1/2 भाग के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वैध आधिकार्य में अवैधानिक रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि को अन्यत्र विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है।
29. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का विवादित भूमि में 1/2 भाग पर स्वत्व एवं आधिपत्य मानते हुए तथा उक्त निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.15 किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है।
30. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.15 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थी/वादीगण के स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त करने की जो आज्ञा दी गई है, वह हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।
31. तदनुसार अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/डिक्री दिनांक 07.07.15 की पुष्टि

की जाती है।

32. उभय पक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपये लगाया जावे।

33. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)